संख्या-231/2016/979/22-2-2016-17(31)/2007

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17नवम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमन पुत्र श्री दीपचन्द्र, निवासी-जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 1-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रमन पुत्र श्री दीपचन्द्र, निवासी ग्राम-रोटी गोदाम, थाना-सदर बाजार, जनपद- मथुरा। बन्दी द्वारा भूमि के विवाद को लेकर दिनांक 28-11-1979 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सरिया व लाठी से मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-2, मथुरा द्वारा दिनांक 23-09-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.04.2000 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त को मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 अन्य सहअभियुक्त मा0उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.05.2016 तक 16 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार एवं 21 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 57 वर्ष है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किया जा सकता है एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की जघन्यता, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रमन (बन्दी संख्या-1101/2000) पुत्र श्री दीपचन्द्र, निवासी जनपद-मथुरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-231/2016/979/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in